

को पेश हो। अतः पत्रावली दि० ३१५५ को पेश हो।

रीडर

३१५५

पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बादिष्कार किया है। P.O. सहद्वय दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि० ३१५५ को पेश हो।

रीडर

३५२५५

वकील उमयपक्ष उप० है। कृपया हेतु पत्रावली दि० २५-२-१५ को पेश हो।

२५-२-१५ पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उमयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण किया है। अतः पत्रावली दि० २५-२-१५ को पेश हो।

रीडर

२५-२५

वकील उमयपक्ष उप० है। वकील गैरसायल ने अप्रैप्रीकृत फोटोकॉपी विक्रयपत्र दि० १५-६-८५ पेश की। वकील उमयपक्ष को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अक्लोकन किया गया। फोटोकॉपी नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख० नं० २१, २३ ग्राम उदेईकलां प्राची प्रभुदयाल की खातेदारी में दर्ज है परन्तु ख० नं० २१ की भूमि पर गैरसायलान अपना कब्जा होना बताते हैं। ख० नं० २३ पर दोनों पक्षों में कब्जे को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है फलस्वरूप हम भूमि की मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु उमयपक्षकारों को न.स. से पाबन्द करना उचित समझते हैं।

अतः उमयपक्षकारों को जरूर अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वे भूमि ख० नं० २१, २३ ग्राम उदेईकलां की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें। पत्रावली फौसल नुमांर होकर नम्बर से कम हो एवं बाह तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)